संख्या-18/2016/1128/क0नि0प्र0/26-3-16-12(05)/2012

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ:दिनांक: 27 अक्टूबर,2016
समाज कल्याण विभाग

विषयः- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित कौशलवृद्धि प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुल्क पर सर्विस टैक्स के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के पत्र संख्या-1543/कौ0वृ0प्र0यो0/2016'17 दिनांक 04 अक्टूबर,2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से पूर्व संचालित कौशलवृद्धि प्रशिक्षण योजनान्तर्गत दिये गये कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुल्क पर सर्विस टैक्स के भुगतान हेतु रू0 37,87,331.00 (रू0 सैंतीस लाख सत्तासी हजार तीन सौ इकतीस मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर न्यू होरिजन्स (सम्प्रति श्री राम न्यू होरिजन्स लि0) को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- न्यू होरिजन्स (सम्प्रति श्री राम न्यू होरिजन्स लि0) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सर्विस टैक्स के भुगतान हेतु आवंटित की जा रही उपर्युक्त धनराशि की जमा रसीद की प्रमाणित प्रति शासन एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जा सके।

4- यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय। धनराशि के व्यय की कार्यवाही योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाय।

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या–83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष टक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष टक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें(के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2016/बी-1/746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-18/2016/1128(1)/क0नि0प्र0/26-3-16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।

2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।

4- न्यू होरिजन्स (सम्प्रति श्री राम न्यू होरिजन्स लि0) चिन्टल हाऊस स्टेशन रोड लखनऊ।

5- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0शासन।

6- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग,उ.प्र. शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।